भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1109

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन

+1109. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों जैसे क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण है;

(ग) इन कंपनियों का चयन किस आधार पर किया गया है और इन कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों के साथ कोई राजस्व साझेदारी तंत्र समझौता किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या इस संबंध में राज्य पर्यटन विभागों को इस तरह की साझेदारी के तौर-तरीकों पर कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां।. पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में तीन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों नामतः ईज माई ट्रिप.कॉम, क्लियरट्रिप प्राइवेट लिमिटेड और यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आतिथ्य उद्योग को प्रासंगिक सेवाएं जैसे कि आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) के माध्यम से कोविड-19 के लिए तैयारी, राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि) के तहत स्टार वर्गीकरण आदि में सहायता प्रदान की जा सकें। इस विज़न को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में, पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के रूप में मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेशन कंपनियों से सहायता मांगी है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक परिपत्र अपलोड किया गया है जिसमें सभी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेशन कंपनियों से इस कार्य में भाग लेने के लिए अपनी मंशा व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसकी प्रति **अनुबंध** के रूप में संलग्न है। उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ): जी, नहीं। इन कंपनियों के साथ किए गए करार में कोई राजस्व बंटवारा तंत्र नहीं है।

(ड.): निधि और साथी के संबंध में राज्य पर्यटन विभागों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं और मंत्रालय उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य के पर्यटन विभागों के साथ लगातार जुड़ा रहा है। समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों से संबंधित तौर-तरीके विकास के चरण में हैं।

****

अनुबंध

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1109 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

परिपत्र

पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के साथ संरेखित एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली का निर्माण करने की प्रक्रिया में है ताकि आतिथ्य उद्योग को निधि (राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस) के तहत प्रासंगिक सेवाएं (जैसे कि साथी, स्टार वर्गीकरण आदि) प्रदान की जा सकें। यह पहल न केवल कारोबार करने में आसानी के लिए नई-नई तरकीबें सोचने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सरकार के साथ जुड़ने के लिए आतिथ्य संगठनों के लिए मंच के रूप में काम करेगा बल्कि सरकार, आतिथ्य उद्योग और पर्यटक के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करके उद्योग के लिए गेम चेंजर बनने की ओर अग्रसर है। यह न केवल नीतिगत निर्णयों, मानव संसाधन की आवश्यकताओं, आपदा/स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रसार के लिए सूचना के सृजन में सहायता करेगा, बल्कि नौकरियों के सृजन में भी मदद करेगा।

इस विज़न को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में, पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के रूप में मंत्रालय ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेशन कंपनियों से सहायता प्रदान करने की मांग करता है। यह समझौता ज्ञापन आतिथ्य उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने का वादा है, यह सभी ओटीए के लिए खुला होगा, गैर विशिष्ट होगा, गैर वित्तीय होगा और कानूनी रूप से किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करेगा।

इस कवायद में भाग लेने के अपने इरादे को व्यक्त करने के लिए कृपया अपने संपर्क विवरण के साथ hraccdivision@gmail.com पर मेल भेजें।

****